न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 76 / अपील / 2021 (GCMS No. 2021 / 130)	27.10.2021	03.03.2025

1. बजरंगी बेवा बद्रीलाल जाति बैरवा, निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
2. जितेन्द्र आ. बद्रीलाल जाति बैरवा, निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
3. नरेन्द्र आ. बद्रीलाल जाति बैरवा, निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
4. रिंकू आ. बद्रीलाल जाति बैरवा, निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी

— अपीलांटस

बनाम

1. रामलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील बून्दी
2. छोटू पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील बून्दी
3. छीतर पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील बून्दी
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी,

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
अपीलांटस की ओर से श्री प्रकाशचंद भण्डारी, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1, 2 की ओर से श्री दुर्गालाल गूजर, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 3 की ओर से श्री रामकुमार दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 18.03.2020 (स्वीकार 09.04.2020) ग्राम मोतीपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2020 की पालना में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 76/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/130 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। वकील रेस्पो.सं. 3 द्वारा दिनांक 06.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 109, 112, 117, 59, 60, 62, 93, 94 किता 8 कुल रकबा 3.6743 हैक्टेयर वाके ग्राम मोतीपुरा में स्थित है जिसके 1/4 हिस्से के पूर्व खातेदार शंकर आ. हीरा जी थे। शंकर का देहान्त शादी होने के एक वर्ष बाद ही हो गया था, शंकर के कोई वारिस नहीं था। शंकर के देहान्त हुये करीबन 60 वर्षो से अधिक का समय हो गया है। अपीलांट के पूर्वज कल्याण जी रिश्ते में शंकर जी के भाई थे। इसलिए शंकर अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा उनके देहान्त के बाद भाई कल्याण के वारिस चारों पुत्र रामलाल, छोटू, बद्रीलाल एवं छीतर उक्त खातेदार शंकर के 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्तकारी करते चले आ रहे है। इनमें से बद्रीलाल का देहान्त हो गया, अपीलांटस उक्त बद्रीलाल के वारिसान है जो उसी रूप में उक्त भूमि पर काबिज है। माह जुलाई, 2021 में रेस्पो. छीतर ने मौखिक रूप से धमकी दी कि शंकर के हिस्से की 1/4 भूमि पर उसका नाम दर्ज है उस भूमि पर वह कब्जा करेगा। इसके बाद अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक के मार्फत राजस्व रिकार्ड के संबंध में करवायी जानकारी पर मालुम हुआ कि रेस्पो.सं.3 छीतर ने सादे कागज की फोटोकाफी अप्रमाणित फर्जी वसीयत के आधार पर शंकर जी के 1/4 हिस्से पर अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया है। जबकि शंकर जी ने किसी भी व्यक्ति के नाम वसीयत नहीं की है और न ही उनको उक्त पैतृक भूमि को वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त था। इसलिए फर्जी वसीयत के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2420 दिनांक 09.04.2020 कानून के विरूद्ध है, जो निरस्त किया जावे। सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। नामान्तरकरण की जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल दिनांक 11.10.2021 को प्राप्त हुई। इसलिये जानकारी के अनुसार अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है, फिर भी देरी मानी जावे तो देरी माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2011 आरआरटी (1) पेज 646 एवं 2023 आरआरटी (1) पेज 93 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर जांच हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्य को सही होना मानते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल सं. 42/2015 निर्णय दिनांक 16.03.2020 को पारित आदेश की अनुपालना में तस्दीक किया गया। उक्त आदेश दिनांक 16.03.2020 की जानकारी अपीलांट को भलीभांति रही है, फिर भी अपीलांट को दिनांक 11.10.2021 को कैसे जानकारी हुई, इस बाबत कोई तथ्य प्रकट नहीं किये है जबकि अपीलांट को प्रारम्भ से ही उक्त आदेश की जानकारी थी। इस कारण अपील अपीलांटस प्रथमदृष्टया ही मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया कि अपील विषयक इन्तकाल प्रविष्ठि तहसीलदार बून्दी के यहां खातेदार कब्जेदार छीतर आ. कल्याण बैरवा निवासी मोतीपुरा द्वारा अपने पक्ष में शंकर आ. हीरा द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वसीयत की गई भूमि का नामान्तरकरण वसीयतग्रहिता छीतर के नाम खोले जाने की कार्यवाही सबकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 16.03.2020 को पारित आदेश की पालना में दिनांक 09.042020 को दर्ज की गई है। साथ ही निवेदन है कि उक्त सम्पत्ति खातेदार शंकर को भूमि में निहित हिस्से के रूप में प्राप्त थी तथा खातेदार शंकर के कोई वारिस पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि नहीं थे। शंकर को अपने हिस्से की भूमि को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। भूमि के खातेदार शंकर ने रेस्पो.सं. 3 छीतर के पक्ष में नियमानुसार वसीयत पत्र तहरीर किया है। अपील विषयक भूमि पर छीतर का ही कब्जा कानूनन है, अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं है। शंकर द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में अपीलांट को यह अपील इस न्यायालय में पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तहसीलदार बून्दी द्वारा बाद सुनवाई पारित आदेश की पालना में नियमानुसार वसीयतग्रहिता के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पो.सं.3 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2019(1) पेज 648 की नजीर पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा आदेश की नकल लेने पर दिनांक 11.10.2021 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होते ही हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह

जिला कलेक्टर: बून्दी

माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में **RRD** 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम मोतीपुरा में विरिथत आराजी किता 8 कुल रकबा 3.6743 हैक्टेयर भूमि का सहखातेदार शंकर पुत्र हीरा जाति बैरवा हिस्सा 1/4 था। न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश कमांक भू.अ./2020/3354 दिनांक 18.03.2020 की पालना व निर्णय दिनांक 16.03.2020 मिसल संख्या 42/2015 से वसीयतगृहिता छीतर पुत्र कल्याण के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। पत्रावली पर प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 42/2015 पर पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी छीतर आ.कल्याण द्वारा प्रस्तुत जिस वसीयत के आधार पर तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 16.3.2020 पारित किया गया है वह वसीयत असल नहीं होकर सादे कागज पर लिखी हुई फोटोकापी है तथा अनरजिस्टर्ड है। जिसमें वसीयत लिखे जाने का स्थान एवं दिनांक भी अंकित नहीं है। उक्त कृषि भूमि वसीयतकर्ता शंकर की स्वअर्जित सम्पत्ति होने के संबंध में भी कोई जांच/ उल्लेख नहीं किया गया है। रेस्पो.सं.3 छीतर द्वारा वसीयतकर्ता खातेदार शंकर की मृत्यु दिनांक 04.12.1989 को हो जाने के उपरान्त वसीयत 26 वर्ष बाद तहसीलदार बून्दी के समक्ष पेश की गई है जो गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। तहसीलदार बून्दी द्वारा अपने आदेश में उक्त वसीयत में अंकित गवाहान की मृत्यु हो जाने का अंकन किया हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत की सत्यता गवाहान से प्रमाणित नहीं है। तहसीलदार बून्दी द्वारा अपने उक्त आदेश में यह भी अंकित किया है कि यद्यपि विवादग्रस्त गोद, वसीयत या दानपत्र के संबंध में अन्तिम निर्णय सिविल न्यायालय का बाध्यकारी रहेगा। रेस्पो.सं. 3 छीतर के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित नहीं होने एवं सादा कागज की वसीयत गवाहान से प्रमाणित नहीं होने से सक्षम न्यायालय से अनुप्रमाणित करवानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2020 त्रुटिपूर्ण होना प्रकट है। वसीयत के संबंध में पारित उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं होने से उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। आर.आर.टी. 2019(1) पृष्ठ सं. 648 के अनुसार गोद एवं वसीयत के जटिल प्रश्नों की जांच नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं की जा सकती है, इस हेतु नियमित वाद पेश करना चाहिए।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2420 दिनांक 09.04.2020 ग्राम मोतीपुरा खारिज किया जाता है। मृतक सहखातेदार शंकर आ. हीरा जाति बैरवा के उक्त आराजी में निहित हिस्से के संबंध में पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का वाद दायर कर अपने हक अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)